

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/वृहत्तर पीठ/ /2024, दिनांक:- 01 फरवरी, 2024,

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन वृहत्तर पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 03.04.2024 एवं दिनांक 04.04.2024 को वृहत्तर पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित वृहत्तर पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री बीरेन्द्र कुमार, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण गोरखपुर पीठ गोरखपुर, श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ, श्री विवेक कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ एवं श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/01.02.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/ वृहत्तर पीठ/147/2024, दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1-लखनऊ/ पीठ-2 लखनऊ/ पीठ-3, लखनऊ व पीठ गोरखपुर।

2-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (नाजिर/यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।

3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।